राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email - pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः एफ 4(21)ग्रावि/अनु–8/वीसी/2016 जयपुर, दिनांक 3 DEC 2019

बैठक कार्यवाही विवरण

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2019 को राज्य के समस्त जिलों में अच्छी प्रगति वाली पंचायत समितियों के चयनित विकास अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें विकास अधिकारियों द्वारा अपने कार्य, नवाचार आदि के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में विभाग की ओर से विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायतीराज, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू), वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि., संयुक्त निदेशक (मोनिटरिंग) पंचायती राज ने भाग लिया।

चित्तौड़गढ जिले के अतिरिक्त सभी जिलों के नामित विकास अधिकारी बैठक में उपस्थित हुये। पंचायत समिति तालेड़ा, जिला बून्दी में नामित विकास अधिकारी के स्थान पर सहायक अभियन्ता ने बैठक में भाग लिया।

सभी जिलों के विकास अधिकारियों द्वारा अपनी–अपनी पंचायत समिति में विभिन्न योजनाओं में हुई प्रगति का प्रस्तुतिकरण दिया। पंचायत समिति कुशलगढ, जिला बांसवाड़ा एवं पंचायत समिति पांचू, जिला बीकानेर का प्रस्तुतिकरण सुस्पष्ट तैयार नहीं किया गया था, प्रस्तुतिकरण को भविष्य में सही प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

पंचायत समिति ईटावा, जिला कोटा का प्रस्तुतिकरण, नवाचार सर्वश्रेष्ठ पाया गया। इसी प्रकार पंचायत समिति राजसमंद, जिला राजसमंद, पंचायत समिति देवली जिला टोंक, पंचायत समिति खानपुर, जिला झालावाड़ के विकास अधिकारियों द्वारा योजनाओं की क्रियान्विति हेतु किये जा रहे कार्य सराहनीय पाये गये। अन्य जिलों के विकास अधिकारियों द्वारा भी दिया गया प्रस्तुतिकरण सराहनीय रहा।

आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा द्वारा जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे विकास अधिकारियों को विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान आकृष्ट करने एवं दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

महात्मा गांधी नरेगा में जितना भी रिजेक्ट पेमेन्ट है, इस रिजेक्ट पेमेन्ट का 01.12.2019 तक आवश्यक रूप से भुगतान कराने के निर्देश दिये। विभाग की विभिन्न योजनाओं की

समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित आदेश निर्देश की समयबद्ध पालना सुनिश्चित की जावें।

1. मुख्य सचिव महोदय की ओर से सभी जिला कलक्टर्स को प्रेषित अ.शा. पत्र दिनांक 09.05.2019 में वर्णित 10 पैरामीटर्स समय पर भुगतान, 100 दिवस कार्य, मानव दिवस सृजन, सैन्सटीविटी इन्डेक्स, औसत मजदूरी दर, औसत कार्य दिवस, जीओ टैगिंग, कार्यों को पूर्ण करना, कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधि, एनआरएम कार्यों की नियमित समीक्षा तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत की GIS आधारित कार्य योजनाऐं बनाने आदि पर विशेष ध्यान देने के संबंध में निर्देश दिये गये।
2. फार्म नम्बर 6 उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जारी निर्देश दिनांक 12.05.2011 के अनुसार कार्यवाही एवं प्रपत्र 6 में कार्यों के लिए आवेदन तथा दिनांकित रसीद देने की कार्यवाही से संबंधित दिशा निर्देशों की शत–प्रतिशत पालना करने के निर्देश दिये।
3. श्रमिकों को ग्रुपवाइज भुगतान करने के संबंध में जारी निर्देश दिनांक 20.7.2010 के अनुसार प्रत्येक पखवाड़े में कार्यवाही किये जाने तथा औसत मजदूरी दर कम आने पर विभागीय निर्देश दिनांक 05.07.2019 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप निरीक्षण कर दर में बढोतरी हेतु सुधारात्मक प्रयास करने के निर्देश दिये।
4. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरीक्षण के संबंध में जारी निर्देश दिनांक 29.12.2009 के अनुरूप निरीक्षण की कार्यवाही की जावे।
5. विभाग स्तर से समीक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण टेमप्लेट जारी किया गया है। इसी अनुरूप ग्राम पंचायतवार पीपीटी तैयार कर समीक्षा की जाये।
6. सेन्सटीविटी इन्डेक्स की नियमित समीक्षा कर निर्धारित प्रतिशत में अनुसूचित जाति के श्रमिक नियोजित किये जावें।
7. औसत मजदूरी दर के सुधार हेतु नियमित प्रयास किये जावें।
8. अधिक से अधिक परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के पूर्ण प्रयास किये जाये।
9. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत LOB+ LOB-2 Universal Cover का विशेष ध्यान दिया जाए।
10. शौचालय तकनीक सुधार (Retrofitting) करते हुये सामुदायिक शौचालय (CSC) एवं LOB शौचालय का निर्माण पूर्ण किया जावे।
11. प्रत्येक पंचायत समिति में ऐसी 4–5 ग्राम पंचायतों का चयन करें, जहां विभाग की योजनाओं के कार्य संचालित हो रहे हैं, जिनमें भ्रमण/निरीक्षण करने हेतु ग्राम पंचायतों को चिन्हित करें। तथा इन ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों से आए बदलाव की Documentary तैयार की जावे।

12. स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के तहत आईईसी मैटेरियल उपलब्ध कराये गये है, उन्हें अच्छे प्रकार से प्रदर्शित किया जाये जिससे अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके।
13. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में महात्मा गांधी नरेगा से देय 90 कार्य दिवसों हेतु मस्टररोल जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
14. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति आदि के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जावे। जो कार्य स्वीकृत किये गये है, उन्हें निर्धारित अवधि में पूर्ण करा कर समायोजन की कार्यवाही की जावे।
15. राजीविका के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन, बैंक लिंकेज एवं ऋण भुगतान की नियमित समीक्षा की जावे।

परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू) ने सभी जिलों के विकास अधिकारियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का जिलेवार प्रगति का प्रस्तुतिकरण देकर आवश्यक सुधार के निर्देश दिये।

बैठक में उपस्थित विकास अधिकारियों को शामिल करते हुए वाट्सएप ग्रुप बनाये जाने का निर्णय लिया गया, जिससे किसी पंचायत समिति में अच्छा कार्य होता हैं उसकी जानकारी दूसरे जिले को आसानी से मिल सके। उक्त वाट्सएप ग्रुप **"RD n Pr best practices"** के नाम से होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही best practices & innovations को ग्रुप के सदस्यों में Share करना तथा राज्य स्तर से अन्य भागों में Scaled up करना है। साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन पंचायत समिति के विकास अधिकारियों का उपयोग अन्य पंचायत समिति की Capacity building एवं best practices को Scaled up करने में उपयोग कर, ग्रुप में Share कर सकेंगें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज ने सभी विकास अधिकारियों का मार्ग दर्शन प्रदान करते हुए विभागीय स्तर से जारी दिशा निर्देशों का गंभीरता से अध्ययन कर पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।

प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं प्रत्येक राजस्व ग्राम में आवश्यकतानुसार चार कार्य यथा चारागाह विकास, खेल मैदान, श्मशान/कब्रिस्तान निर्माण एवं आदर्श तालाब निर्माण के कार्य कराये जावें। इस हेतु पंचायती राज द्वारा दिनांक 21.10.2019 को परिपत्र " एक ग्राम चार काम अभियान" जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न योजनाओं में समन्वय कर कन्वर्जेंस के तहत कार्य स्वीकृत किए जाने के निर्देश दिये गये हैं, उक्त कार्यों की मोनिटरिंग निम्न प्रारूप में की जावेगी–

स्वीकृत कार्यों की प्रगति सूचना

क.सं.	कार्य	स्वीकृत कार्यों की संख्या			पूर्ण कार्यों की संख्या			प्रगतिरत कार्यों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल व्यय (लाखों में)	विशेष विवरण
		दिनांक 31.03.2019 तक	वित्तीय वर्ष 2019–20 में अब तक	कुल योग	दिनांक 31.03.2019 तक	वित्तीय वर्ष 2019–20 में अब तक	कुल योग			
1	चारागाह विकास									
2	मॉडल जलाशय विकास									
3	श्मशान/कब्रिस्तान विकास									
4	खेल मैदान विकास									

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा सभी विकास अधिकारियों को पंचायत समिति स्तर पर स्वीकृत कार्यों को हाथ में लेकर आवश्यक रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये क्योंकि अधिकारियों के स्थानान्तरण की स्थिति में ऐसे कार्य अधिकतर अपूर्ण स्थिति में रह जाते हैं।

ग्रामीण विकास के कार्यों में जो परिसम्पत्तियां सृजित की जा रही हैं, उनका निर्माण सुनियोजित एवं गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए करने के निर्देश दिये गये। साथ ही उनका उपयोग सुनिश्चित किया जावे, ताकि आम जनता को पूर्ण लाभ मिल सके।

पंचायत समिति के कार्यों में गति देने हेतु प्रत्येक सोमवार को अपने अधिनस्थ अधिकारी/कार्मिकों के साथ आन्तरिक बैठक करें, जिसमें संबंधित योजनाओं के निर्देश एवं लम्बित कार्यों की समीक्षा करें। इस प्रकार नियमित कार्य करने से योजनाओं की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित होगी।

बैठक में जिलों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले चयनित विकास अधिकारियों को आमंत्रित किया है। विभाग की ओर से अच्छे कार्य करने वालों का मनोबल बढाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। विकास अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किये एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

03/12/19

(हितबल्लभ शर्मा)
परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज।
5 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6 निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण।
7 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
8 जिला कलक्टर समस्त।
9 आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण।
10 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
11 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
12 अतिरिक्त आयुक्त–II, ईजीएस, ग्रावि।
13 परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस, ग्रावि।
14 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन–1 & 2) पंचायती राज।
15 संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण/विधि) पंचायती राज।
16 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास।
17 उपायुक्त (जांच), पंचायती राज।
18 परि. निदे. एवं उप सचिव (एसएपी/मो. एवं मू./LP & SHG), ग्रामीण विकास।
19 परियोजना निदेशक (LP & SHG), राजीविका।
20 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायती राज/ईजीएस।
21 स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण।
22 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास/ईजीएस/पंचायतीराज।
23 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
24 खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
25 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट **www.rdprd.gov.in** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

03/12/19
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)